

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नामः:- वित्त प्रबंधन शाखा

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर):- NRHM A.10.6

बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. संख्या (अनुलग्नक-1 के आधार पर):- Concurrent Audit System

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम):- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रत्येक वर्ष Concurrent Audit कराया जाना है। इस कार्य हेतु अधिकतम 25,000/-प्रतिमाह पर जिले में अंकेक्षक की नियुक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण के पश्चात जिला स्तर पर किया जायेगा। 25,000/-रूपये प्रतिमाह का भुगतान वर्ष 2013-14 के लिए है। नया दर पूर्व से अनुबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म पर लागू नहीं होगा।

इकाई राशि (रु० में) :- 25,000/-रूपये अधिकतम

वित्तीय दिशा-निर्देशः- जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित दर पर भुगतान किया जायेगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) SHSB/FA/CA/132/10/2471 दिनांक 20.03.2012

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नामः- के०एल०दास (वित्त प्रबंधक)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बरः- 9470003021

13/7/13

३